न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–274/2012 (जीसीएमएस नं. 2012/00128)

1. रामप्यारी पत्नी बजरंग लाल, जाति अहीर,
2. प्रभाती पत्नी लक्ष्मीनारायण,
3. बजरंग लाल पुत्र श्री किशनलाल,
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री किशनलाल, समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम भोज्याडा, तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार लोक जरिये उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान।
2. श्री भॅवरलाल पुत्र श्री नारायण जाति अहीर, निवासी ग्राम भोज्याडा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।
3. तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान।
4. पटवारी हल्का भोज्याडा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
5. रजिस्ट्रार तहसील चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री सुनील कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 13.04.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट भॅवर लाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश किया है वह कतई गलत, मिथ्या एवं आधारहीन तथ्यों पर पेश किया है एवं भंवरलाल ने खसरा नम्बर 266 में अपने स्वामित्व की जमीन आना बताया जो कि कतई विधि विरूद्ध है जबकि उक्त खसरा नम्बर 266 मिन अपीलार्थी के नाम दर्ज है एवं राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को बिना परखे एवं वास्तविक स्थिति को जाने बिना उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से सरसरी तौर पर ही खारिज फरमाये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बाद प्रार्थी अपीलार्थी के खसरा नम्बर 266 में से 0.07 की भूमि कम कर दी गई जबकि उक्त 0.07 भूमि खसरा नम्बर 266 का ही हिस्सा है जिसका मालिकाना हक व अधिकार मात्र अपीलार्थीगण का है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त

P.T.O.

प्रकरण को निस्तारित करने से पूर्व सर्वप्रथम खसरा नम्बर 266 के स्वामी अपीलाथीगण को इस बाबत नोटिस देकर एवं उनसे समुचित जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णित किया जाना आवश्यक था जिससे कि वास्तविक स्थिति स्वतः ही अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष आ जाती परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर एवं एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को उक्त तथ्य के सर्वप्रथम दिनांक 28.08.2012 को जानकारी हुई जब अपीलार्थीगण तहसील चाकसू जिला जयपुर में गये थे तब उनके किसी जानकार ने अपीलार्थीगण को बताया कि रेस्पोडेन्ट भंवर लाल ने आपकी जमीन को अपने नाम करवा ली है इसके पश्चात् अपीलार्थीगण ने तुरन्त दिनांक 28.08.2012 को ही तहसील कार्यालय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की नकल हेतु आवेदन कर निकल दिनांक 31.08.2012 को प्राप्त की जिसके पश्चात् अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उन्हे समस्त दस्तावेजात सुपुर्द कर अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है उस बाबत अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2011 को निरस्त कर अपीलार्थी के खसरा नम्बर 266 में से काटी गई जमीन 0.07 को पुनः अपीलार्थी के खसरा नम्बर 266 में जोडी जाकर पूर्ववती स्थिति में लाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीया आराजी खसरा नम्बर 266 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेन्ट भंवर लाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित ही नही किया गया है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन

P.T.O.

आदेश दिनांक 29.01.2011 के माध्यम से अपीलान्ट के खसरा नम्बर 266 जमीन काटने के आदेश पारित किये गये है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सेवकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2011 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर का इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।